



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



फाइल नम्बर :9-HRBO168/2018-CHA

दिनांक : 17.09.2018

सेवा में,

नोडल ऑफिसर एवं वन संरक्षक (एफ सी),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा

विषय: Diversion of 0.952 ha of forest land in favour of Sub Divisional Engineer, PWD B&R Sub Division, Naraingarh for widening and strengtheinging of road from SH 1 to Badhouli road, km 0 to 1.600, under Forest Division and District Ambala, Haryana (FP/HR/Road/32291/2018)

सन्दर्भ: 1. नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 8433/2110 दिनांक 05.09.2018

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.952 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:-

- Name of project for which forest land required is not mentined correctly under column A-1(ii).
- Part IV and V approved by competent authority be uploaded under column 16 of part II.
- DSS/ Google earth shows that the proposed CA and Addl CA site have not adequate space for target plantation of 2.622 ha. Only 0.50 ha space is available. Revised/alternate CA site for plantation alongwith KML file, DGPS map, SOI toposheet and site suitability certificate be uploaded and hard copy be provided.

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय
17/9/18
(एस० डी० शर्मा)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- Divisional Forest Of ficer, Forest Division District Ambala Haryana
- The Sub Divisional Engineer, PWD B&R Sub Division, Naraingarh